प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।

1-

क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.224 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	प्रस्ताव में सलंग्न है।
ग) परियोजना की लागत	रू0 3.36 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	इस परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को वन क्षेत्र में स्थापित किया गया है।
ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	5.00 है0 से कम होने के कारण आवश्यकता नहीं है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	लगभग 9568 रोजगार दिवस उपलब्ध होंगे।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :	आरक्षित वनभूमि : 0.224 है0, सिविल सोयम भूमि – – है0 योग – 0.224 है0
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है	शून्य
क) परिवारों की संख्या	–
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	–
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	–
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं)	आवश्यकता नहीं है।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जाय)	प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण अथवा दण्ड स्वरूप लागत के साथ राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत आदि क्षेत्र में पुनः वनीकरण हेतु नियमानुसार राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा जो भी मांग की जायेगी लोक निर्माण विभाग देने हेतु वचनबद्ध है। प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा	भारत सरकार की गाइड लाइन्स् के अनुसार सभी अपेक्षित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव में संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान :– पुरोला

(त्रेपन राणा)
कनिष्ठ अभियंता
नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला

(आर0एस0 पंवार)
सहायक अभियंता
नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला

(सी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियंता
नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला

प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम :–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
   I. राज्य/संघराज्यक्षेत्र राज्य
   II. जिला – उत्तरकाशी
   III. जिला वन प्रभाग गोविन्द वन्य जीव विहार पुरोला
   IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र संरक्षित वन भूमि 0.224 है0
17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः संरक्षित वन भूमि
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः
   I. वन का प्रकार चीड़ व कुनीश
   II. वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.15
   III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना 05
   IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा स्टील गर्डर मोटर सेतु
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी सामान्य
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : संरक्षित भूमि
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : —
   I. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : —
   II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं
   III. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं
   IV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं
   V. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : हाँ
   I. क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
   II. यदि नही तो वन भूमि के सिफारिष किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिकमण के ब्यौरे :
   I. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) नहीं

II. यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही

III. क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : लागू नहीं

I. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। लागू नहीं

II. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें। लागू नहीं

III. क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्षित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

I. रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। नहीं

II. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

III. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। नहीं

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाष में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। नहीं

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिषें

स्थानः हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रातारीखः

जानकारी में प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

वन क्षेत्राधिकारी कण्डिन रेंज
नैटवाड़ (उत्तरकाशी)

Dy. Director
Govind Wild Sanctuary Park
Purola, Uttarkashi

वन्य जीव प्रतिपालक
गोविन्द वन्य जीव विहार
पुरोला, उत्तरकाशी

प्रारुप–4

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/ नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिषों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थानः

तारीखः

शासकीय मुद्रा

हस्ताक्षर नाम

वन क्षेत्राधिकारी रुपिन रेंज
नैटवाड (उत्तरकाशी)

Dy. Director
Govind Wild Sanctuary Park
Purola, Uttarkashi

वन्य जीव प्रतिपालक
गोविन्द वन्य जीव विहार
पुरोला, उत्तरकाशी